संख्या-551/2018/901/22-2-2018-17(152)/2018

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 **लखनऊ दिनांक 17 जुलाई, 2018**

विषय केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राम प्रकाश पुत्र श्री बच्चन लाल, निवासी जनपद-एटा की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-22050/प्रोबेशन-3/फार्म-ए(एम-06-09-2016) दिनांक-18-06-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र दिनांक 18-06-2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी राम प्रकाश पुत्र श्री बच्चन लाल, निवासी-हैदलपुर, थाना-रिजोर, जनपद-एटा का रहने वाला है। बन्दी के पुत्र ने आत्महत्या कर ली थी। बन्दी को शक था कि उसके पुत्र को भगवान सिंह ने जादू-टोना करके मार दिया है। इसी शक के कारण बन्दी ने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचे से गोली मारकर रघुवीर तथा लल्लू की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-730/2001 में भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 302/149 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक-I, एटा के आदेश दिनांक 10.12.2002 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 02.09.2016 तक 15 वर्ष 01 माह 04 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष 08 माह 01 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी**,** पुलिस अधीक्षक एवं **जिला मजिस्ट्रेट**, **एटा** द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड ने अंकित किया है कि बन्दी के पुत्र ने आत्महत्या कर ली थी। बन्दी को शक था कि उसके पुत्र को भगवान सिंह ने जादू-टोना करके मार दिया है। इसी शक के कारण बन्दी ने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचे से गोली मारकर रघुवीर तथा लल्लू की हत्या कर जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता**,** जिला प्रोबेशन अधिकारी**,** वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट**,** एटा द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी राम प्रकाश पुत्र श्री बच्चन लाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- अतः **मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित** विशेष अनुज्ञा याचिका (एस0एल0पी0) संख्या-4482/2018 रामप्रकाश एवं अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांक 15.05.2018 के अनुपालन में तथा उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी राम प्रकाश (बन्दी संख्या-16106) पुत्र श्री बच्चन लाल, निवासी जनपद-एटा के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-551**/2018/901(1)/22-2-2018** तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद एटा।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.upnic.in

शासनादेश सख्या-551/2018/901/22-2-2018-17(152)/2018

दिनांक 17 जुलाई, 2018 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राम प्रकाश (बन्दी संख्या-16106) पुत्र श्री बच्चन लाल, निवासी-हैदलपुर, थाना-रिजोर, जनपद-एटा का रहने वाला है। बन्दी के पुत्र ने आत्महत्या कर ली थी। बन्दी को शक था कि उसके पुत्र को भगवान सिंह ने जादू-टोना करके मार दिया है। इसी शक के कारण बन्दी ने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचे से गोली मारकर रघुवीर तथा लल्लू की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-730/2001 में भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 302/149 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक-I, एटा के आदेश दिनांक 10.12.2002 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 02.09.2016 तक 15 वर्ष 01 माह 04 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष 08 माह 01 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी**,** पुलिस अधीक्षक एवं **जिला मजिस्ट्रेट**, **एटा** द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड ने अंकित किया है कि बन्दी के पुत्र ने आत्महत्या कर ली थी। बन्दी को शक था कि उसके पुत्र को भगवान सिंह ने जादू-टोना करके मार दिया है। इसी शक के कारण बन्दी ने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचे से गोली मारकर रघुवीर तथा लल्लू की हत्या कर जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता**,** जिला प्रोबेशन अधिकारी**,** वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट**,** एटा द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी राम प्रकाश पुत्र श्री बच्चन लाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in